फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला जयपुर

लालचन्द वगै0 बनाम सरकार वगै0

मुकदमा संख्या : 38/2020

क्रम सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.12.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण को तलबी रजि0 ए0डी0 से करवाये जाने की समग्र सूचना होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये। इनको बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 7, 9, 10 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थीगण ने जवाब पेश नही किया। अतः जवाब बन्द किया जाता है। वकील उभय पक्षो की बहस सुनी गइ तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 02.01.2026 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर	
	02.01.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम भट्कावास, पटवार हल्का माथासूला तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में प्रार्थीगण की सहखातेदारी कृषि भूमि साबिक खसरा नं0 43 रकबा 18 बिस्वा डाल नवीन खसरा नं0 44 रकबा 0.23 हैक्टेयर अनुसार स्थित है। जिसके सींवृजोड उत्तर दिशा में साबिक खसरा नं० 173 अनुसार सिवायचक सरकारी भूमि में से प्रार्थीगण की उक्त भूमि में आवागमन हेतु पूर्व से पश्चिम वर्तमान खसरा नं० 37 व साबिक खसरा नं० 36 तक प्रार्थीगण रास्ता चला आया है तथा उक्त आवागमन के रास्ते को छोडकर उत्तर दिशा में सींवजोड अनुसार अप्रार्थीगण सं० 2 लगायत 11 की संयुक्त खातेदारी भूमि साबिक खसरा नं0 173/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा स्थित चली आ रही है, जिनके वर्तमान खसरा नं0 68 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 70 रकबा 0.35 हैक्टेयर कायम किये गये है, लेकिन दौराने सेटलमेंट कार्यवाही प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नं0 68 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि के राजस्व नक्शे में शामिल कर प्रार्थीगण के आवागमन के उपयोग उपभोग के अधिकारों के विरुद्ध त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया, जो कि हस्तगत प्रकरण में खसरा नं० 68 रकबा 0.24 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के पूर्वानुसार चुले आ रहे रास्ते के त्रुटिपूर्ण तरमीम के कारण विवादित भूमि है, जिससे अप्रार्थीगण 2 लगायत 11 का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहा है।साबिक राजस्व नक्शे को मध्य नजर रखते हुए ग्राम भट्टकाबास पटवार हल्का माथासूला में स्थित विवादित भूमि हाल खसरा नं0 68 रकबा 0.24 हैक्टेयर एवं खसरा नं० 70 रकबा 0.35 हैक्टेयर के राजस्व नक्शों को साबिक खसरा नं0 173/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के राजस्व नक्शे अनुसार रकबा बरारी करते हुए पुनः तरमीम करने एवं प्रार्थीगण के रास्ते को पूर्वानुसार रखने का आदेश दिया जावे एवं तदानुसार पूर्वानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरुस्तीकरण के आदेश दिया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम भटटकाबास, पटवार हल्का माथासूला में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 68 रकबा 0.24है0 एवं खसरा नम्बर 70 रकबा 0.35है0 के राजस्व नक्शों को साबिक खसरा नम्बर 173/2 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा के अनुसार रकबा बरारी करते हुए तरमीम दुरूस्ती करवाना चाहता है। जो दुरूस्ती योग्य नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि वादांकित के संबंध में अप्रार्थीगण	अधिकारी जिला जयपुर

द्वारा स्वयं के प्रार्थना पत्र में साक्ष्य हेतु वांछित दस्तावेजों के अभाव में प्रार्थना पत्र के तथ्य को साबित करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज सरे इजलाश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफतर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner